राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियामक प्राधिकरण,

संख्या 02 /यूपीराभूजप्रविप्रा

लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2020

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 की धारा–10,11,14,16 व 17 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के पंजीकरण शुल्क, उपयोक्ताओं को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु शुल्क, भूगर्भ जल निकालने हेतु भूमि वेधन में लगे हुये व्यक्ति, फर्म, अभिकरण या कम्पनी हेतु पंजीकरण शुल्क तथा अधिनियम की धारा–16 के क्रम में भूजल उपयोक्ताओं द्वारा भूजल की वार्षिक निकासी की मात्रा के अनुसार शुल्क निम्नवत निर्धारित किया जाता है:–

(अ) कुओं के पंजीकरण के लिये प्रस्तावित शुल्क:

| भूजल उपयोक्ता के प्रकार | प्रस्तावित शुल्क (रू0 में) |
|---|---|
| घरेलू एवं कृषि उपयोक्ता | लागू नहीं |
| वणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता | 5000.00 |

(ब) ड्रिलिंग एजेन्सीज के पंजीकरण के लिए प्रस्तावित शुल्क:

रू0 5000.00 प्रति जिला/प्रति एजेन्सी (प्रत्येक 3 वर्ष के लिये)

(स) अनापत्ति (N.O.C) के लिये प्रस्तावित शुल्क:

| भूजल उपयोक्ता के प्रकार | प्रस्तावित शुल्क (रू0 में) |
|---|---|
| घरेलू एवं कृषि उपयोक्ता | लागू नहीं |
| वणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता | 5000.00 |

Scanned with CamScanner

अधिनियम की धारा–16 के क्रम में भूजल उपभोक्ताओं द्वारा भूजल की वार्षिक निकासी की मात्रा के अनुसार जल संरक्षण शुल्क(Water Conservation Fee) निम्नवत होगी:–

(1) घरेलू और कृषि भूगर्भ जल उपयोक्ता : कोई शुल्क नही।

(2) वाणिज्यिक भूगर्भ जल उपयोक्ता :

| क्रम संख्या ↓ | क्षेत्र की श्रेणी / भूगर्भ जल उपयोग की मात्रा → | शुल्क (रू0 प्रति घन मी0 प्रति दिन) (एक वर्ष में कुल भूगर्भ जल दोहन की मात्रा के अनुसार वार्षिक रूप से चार्ज किया जायेगा।) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | <500 घन मी0 प्रति दिन | 500 से <1000 घन मी0 प्रति दिन | 1000 से 5000 घन मी0 प्रति दिन | >5000 घन मी0 प्रति दिन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सुरक्षित | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 2. | सेमी क्रिटिकल | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
| 3. | क्रिटिकल | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
| 4. | अति दोहित/नोटिफाइड शहरी क्षेत्र | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |

नोटः वार्षिक भूगर्भ जल दोहन शुल्क का निर्धारण उपर दी गयी तालिका में लागू दोहन की सम्बन्धित स्लैब की दर, भूगर्भ जल उपयोग की मात्रा एवं एक वर्ष में पम्पिंग दिनों को गुणा करके की जायेगी।

(3) औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ता:

| क्रम संख्या ↓ | क्षेत्र की श्रेणी / भूगर्भ जल उपयोग की मात्रा → | शुल्क (रू0 प्रति घन मी0 प्रति दिन) (एक वर्ष में कुल भूगर्भ जल दोहन की मात्रा के अनुसार वार्षिक रूप से चार्ज किया जायेगा।) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | <500 घन मी0 प्रति दिन | 500 से <1000 घन मी0 प्रति दिन | 1000 से 5000 घन मी0 प्रति दिन | >5000 घन मी0 प्रति दिन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सुरक्षित | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| 2. | सेमी किटिकल | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| 3. | किटिकल | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 4. | अति दोहित/ नोटिफाइड शहरी क्षेत्र | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |

नोटः वार्षिक भूगर्भ जल दोहन शुल्क का निर्धारण उपर दी गयी तालिका में लागू दोहन की सम्बन्धित स्लैब की दर, भूगर्भ जल उपयोग की मात्रा एवं एक वर्ष में पम्पिंग दिनों को गुणा करके की जायेगी।

Scanned with CamScan

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार भूजल उपभोक्ताओं के पंजीकरण शुल्क, उपभोक्ताओं को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु शुल्क, वेधन अभिकरणों (ड्रिलिंग एजेन्सी) के पंजीकरण हेतु शुल्क तथा अधिनियम की धारा–16 के क्रम में भूजल उपभोक्ताओं द्वारा भूजल की वार्षिक निकासी की मात्रा के अनुसार प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद शुल्क प्राप्त कर भूगर्भ जल निधि के अन्तर्गत संगत लेखा शीर्ष में जमा करेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव/अध्यक्ष।

पत्रांक : 02 /यूपीराभूजप्रविप्रा/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन (सदस्य प्राधिकरण)।
2. प्रमुख सचिव,नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0शासन(सदस्य प्राधिकरण)।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वाँ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।
8. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई और जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
11. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उ0प्र0।
13. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
14. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0।
15. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ।
16. मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
17. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(वी0के0 उपाध्याय)
निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव।

Scanned with CamScan